# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित )

प्रकरण संख्या 22 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 14.03.2022

रामावतार सैनी पुत्र गोपाल लाल सैनी जाति माली निवासी रैगरो का मोहल्ला नया मन्दिर के पीछे वार्ड नं0 12 निवाई जिला टोंक

अपीलान्ट

**बनाम**

जिला रसद अधिकारी टोंक राज0

रेस्पोडेण्ट

**अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 09.09.2020 जिला रसद अधिकारी टोंक**

उपस्थितिः–
1. श्री मोहम्मद सलीम,अभिभाषक –अपीलान्ट
2. पेराकार सरकार –रेस्पाडेन्ट

**निर्णय** दिनांक 12.09.2022

अपील अपीलान्ट का सांराश इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 09.09.2020 से श्री रामावतार सैनी,उचित मूल्य दुकानदार निवाई शहर तहसील निवाई का प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए अप्रार्थी डीलर की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूत राशि 1000 रूपये जब्त सरकार करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट एंव पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो को ही बहस माने जाने का निवेदन किया। प्रवर्तन निरीक्षक निवाई ने दिनांक 06.01.2020 को अप्रार्थी डीलर की दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान बन्द पायी गई एवं डीलर को मोबाइल पर सूचना देने के बावजूद भी दुकान खोलने हेतु उपस्थित नहीं हुये एवं दुकान खोलने से मना कर दिया। प्रवर्तन निरीक्षक निवाई द्वारा 18.2.2020 को अप्रार्थी डीलर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उपभोक्ता सप्ताह के दौरान बिना सूचना के उचित मूल्य दुकान बंद पायी गई जिसे डीलर से मोबाईल पर सम्पर्क करके खुलवाकर निरीक्षण कार्यवाही की गयी। वक्त निरीक्षण डीलर द्वारा केरोसीन,चीनी व गेहूँ का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया। मौके पर मूल्य सूची बोर्ड पर आवश्यक जानकारी का अंकन नही होना पाया गया। वक्त निरीक्षण स्टॉक 101.88 क्विंटल गेहू, 337.65 किलोग्राम चीनी व 171.00 लीटर केरोसीन होना चाहिए था, किन्तु उक्त भौतिक सत्यापन में तीनों की स्टॉक शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:48:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर टोंक

पाया गया। अप्रार्थी आपूर्ती किये गये माह अप्रेल 2019 से जनवरी 2020 तक 62938 किलोग्राम गेहूं में से 58680 किलोग्राम गेहूँ वितरण करने पर 4258 किलोग्राम गेहूँ वक्त निरीक्षण गोदाम में पाया जाना चाहिए था,परन्तु मौके पर गेहू की मात्रा शून्य पायी गई तथा माह फरवरी 2020 का आवंटित गेहूँ 5931 किलोग्राम भौतिक रूप से होना चाहिए था जो भी गोदाम में वक्त निरीक्षण नही पाया गया। इस प्रकार आरापों द्वारा 4258 व 5931 कुल 10189 गेहूँ की कालाबाजारी कर गबन करना पाया गया । इत्यादि उक्त परिवाद के आधार पर न्यायालय जिला रसद अधिकारी टोंक ने प्रकरण संख्या 3/2020 दर्ज करते हुये कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा बाद कार्यवाही अपीलान्ट/आरोपी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2020 को प्रकरण संख्या 3/2020, राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ ( वितरण एवं विनियमन ) आदेश 1976 की शर्त 9 का उल्लंघन के आरोप में दोषी मानते हुये आरोपी / अपीलान्ट डीलर की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/ – रूपये जप्त सरकार की गई है तथा आरोपी/अपीलान्ट डीलर का निलम्बित प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.09.2020 विधि विधान व तथ्यों के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य जो सभी रसद विभाग के कर्मचारी के आधार पर उक्त निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। पत्रावली पर कोई स्वतंत्र साक्ष्य मौजूद नहीं है तथा कोई शिकायत भी नहीं थी। अपीलान्ट अपने परिवार के कमाने वाले अर्निंग मेम्बर है। अपीलान्ट का लाईसेन्स निरस्त किये जाने से उसके परिवार के भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दिनांक 21.05.2020 को डीलर की दुकान का किसी भी जांच दल द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है। दिनांक 20.2.2020 को दुकान को निलम्बन कर दिया उसके पश्चात डीलर की दुकान पर किसी भी जांच दल द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है। दर्शाई गई मात्रा 2588.84.700 क्विंटल गेहूँ डीलर थोक विक्रेता द्वारा आपूर्ति नही हुई है और ना ही पोश मशीन में फीड है और ना ही अपीलान्ट को गेहू आपूर्ति की बैलेन्स उपलब्ध करवाया गया है। जिला रसद अधिकारी टोंक ने अपीलान्ट को आर.टी.ए.एल 80 के आर्डर का दोष करार दिया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त लाईसेन्स का कोई अपराध कारित नही किया गया है। आरोप आक्षेप निराधार है,केवल अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की गरज से कारित किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि दिनांक 06.1.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक निवाई द्वारा अप्रार्थी डीलर की दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान बन्द पायी गयी एवं डीलर को मोबाइल पर सूचना देने के बावजूद भी दुकान खोलने हेतु उपस्थित नहीं हुऐ एवं दुकान खोलने से मना कर दिया। प्रवर्तन निरीक्षक निवाई द्वारा पुनः दिनांक 18.2.2020 को अप्रार्थी डीलर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर वक्त निरीक्षण उपभोक्ता सप्ताह के दौरान बिना सूचना के उचित मूल्य दुकान बंद पायी गयी। अप्रार्थी डीलर से मोबाईल पर सम्पर्क करके बुलाकर दुकान खुलवाकर निरीक्षण कार्यवाही की गयी। वक्त निरीक्षण डीलर द्वारा केरोसीन,चीनी व गेहूँ का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर मूल्य सूची बोर्ड पर आवश्यक जानकारी का अंकन नहीं होना पाया गया। वक्त निरीक्षण स्टॉक 101.88 क्विंटल गेहूं 337.65 किलोग्राम चीनी व 171.00 लीटर केरोसीन होना चाहिये था,किन्तु उक्त भौतिक सत्यापन में तीनों का स्टॉक शून्य पाया गया। डीलर द्वारा माह [illegible] 2020 का उठाव भी कर लिया गया, किन्तु डीलर द्वारा पॉस मशीन में उक्त उठाव का [illegible] नहीं किया जाना पाया गया। अप्रार्थी आपूर्ति किये गये माह अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 तक [illegible] किलोग्राम गेहूँ में से 58680 किलोग्राम गेहूँ वितरण करने पर 4258 [illegible] में पाया जाना चाहिये था,परन्तु मौके पर गेहूँ की मात्रा शून्य पायी [illegible] 2020 का आवंटित गेहूं 5931 किलोग्राम भौतिक रूप से होना चाहिये था,जो भी गोदाम में वक्त निरीक्षण नहीं पाया गया। इस प्रकार डीलर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:48:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

द्वारा 4258+5931 = 10189 गेहूँ की कालाबाजारी कर गबन करना पाया गया है। उक्त अनियमितता के लिये डीलर को कार्यालय के आदेश क्रमांक/रसद/अभियोजन / 2020 / 202 दिनांक 20.02.2020 द्वारा उक्त डीलर का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर कारण बताओ नोटिस क्रमांक अभियोग /2020 / 216 दिनांक 28.02.2020 जारी किया गया एवं जवाब मांगा गया । अप्रार्थी डीलर के द्वारा कारण बताओ नोटिस का जबाब दिनांक 28.02.2020 को प्रस्तुत किया गया। जवाब मे डीलर ने निरीक्षण के दौरान मेरे निजी रिश्तेदार की मृत्यु होने के कारण उसके दाह संस्कार में शामिल होने के कारण उस समय दुकान बंद थी। उस समय में बाहर रहने के कारण दुकान पर नहीं आ सका अंकित किया है। इस संबंध मे अप्रार्थी डीलर की दुकान की विस्तृत जांच हेतु संयुक्त जांच दल गठन कर जांच करवायी गयी,जांच दल द्वारा दिनांक 21.05.2020 को जाच रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुताबिक जांच रिपोर्ट अप्रार्थी डीलर को माह सितम्बर 2016 से फरवरी 2020 तक की अवधि में थोक विक्रेताओं से 2588.847 क्विंटल गेहूँ की आपूर्ति की गई एवं डीलर ने इस अवधि में पोश मशीन से 2179.37 क्विंटल गेहूं का वितरण किया गया। इस प्रकार डीलर के पास कुल 409.477 क्विंटल गेहू स्टॉक में उपलब्ध होने चाहिए था एवं जिसकी जांच पूर्व में दिनांक 28.02.2020 की गई थी, उस समय भौतिक सत्यापन करने पर गेहूँ की मात्रा शून्य पायी गई थी। इस प्रकार डीलर द्वारा 409.477 क्वि. गेहूँ का दुरूपयोग किये जाने पर डीलर को पुनः कारण बताओ नोटिस कमांक 487 दिनांक 21.05.2020 जारी कर जवाब मांगा गया एवं उक्त अनियमितता /गबन के लिये प्रवर्तन निरीक्षक निवाई को अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु निर्देशित किया गया। अप्रार्थी डीलर द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी डीलर का कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में कहना है कि उसे 2588.84.700 क्विंटल गेहूँ डीलर थोक विक्रेता द्वारा आपूर्ति नहीं हुई है और न ही पोश मशीन में फीड है। डीलर द्वारा दिया गया जवाब सन्तोषप्रद नहीं है,क्योंकि संयुक्त जांच दल ने रिकार्ड के आधार पर जांच की है। थोक विक्रेताओं से डीलर को माह सितम्बर 2016 से फरवरी,2020 तक आपूर्त किये गये खाद्य सुरक्षा योजना के गेहूँ की सूचना प्राप्त की गयी तथा पोस मशीन संख्या 11518 का माह सितम्बर,2016 से फरवरी,2020 की ऑनलाईन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट लेकर समीक्षाधीन अवधि में डीलर को कुल 2588.84.700 क्विंटल गेहूँ आपूर्ति किया व पोस मशीन से डीलर ने 2179.37 क्विंटल गेहूँ का वितरण किया गया। इस अवधि में डीलर द्वारा कुल 409.477 क्विंटल गेहूँ का दुरूपयोग किया गया है । अप्रार्थी डीलर द्वारा उसको जारी किये गये नोटिसों का सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया गया है, जिससे जाहिर है कि उसके द्वारा 409.477 क्विटल गेहूँ का दुरूपयोग कर गबन किया गया है । अप्रार्थी डीलर द्वारा किया गया उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 5,8,9,10,11 एवं 18 का उल्लंघन हैं। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पीडीएस के तहत जरूरतमंद पात्र परिवारों के राशन हेतु आपूर्ति हेतु भेजे गये गेहूं को वितरित नहीं किया जाकर गबन कर कालाबाजारी में प्रयुक्त किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधंन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट [illegible] पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन [illegible] श्री रामावतार सैनी, उचित मूल्य दुकानदार निवाई शहर तहसील निवाई [illegible] प्रस्तुत की गई। जांच मे वक्त निरीक्षण दिनांक 06.01.2020 [illegible] को मोबाईल पर सूचना देने के बावजूद भी दुकान खोलने हेतु [illegible] दुकान खोलने से मना कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:48:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुनः दिनांक 18.02.2020 को अप्रार्थी डीलर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षणार्थ उपभोक्ता सप्ताह के दौरान बिना सूचना के उचित मूल्य दुकान बंद पायी गयी। अप्रार्थी डीलर से मोबाईल पर सम्पर्क करके बुलाकर दुकान खुलवाकर निरीक्षण कार्यवाही की गयी। वक्त निरीक्षण डीलर द्वारा केरोसीन,चीनी व गेहूँ का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर मूल्य सूची बोर्ड पर आवश्यक जानकारी का अंकन नहीं होना पाया गया। वक्त निरीक्षण स्टॉक 101.88 क्विंटल गेहूं 337.65 किलोग्राम चीनी व 171.00 लीटर केरोसीन होना चाहिये था,किन्तु उक्त भौतिक सत्यापन में तीनों का स्टॉक शून्य पाया गया। डीलर द्वारा माह फरवरी 2020 का उठाव भी कर लिया गया,किन्तु डीलर द्वारा पॉस मशीन में उक्त उठाव का अपडेट नहीं किया जाना पाया गया। अप्रार्थी आपूर्त किये गये माह अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 तक 62938 किलोग्राम गेहूँ में से 58680 किलोग्राम गेहूँ वितरण करने पर 4258 किलोग्राम गेहूँ वक्त निरीक्षण गोदाम में पाया जाना चाहिये था,परन्तु मौके पर गेहूँ की मात्रा शून्य पाया गया तथा माह फरवरी 2020 का आवंटित गेहूं 5931 किलोग्राम भौतिक रूप से होना चाहिये था,जो भी गोदाम में वक्त निरीक्षण नहीं पाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा 4258+5931 = 10189 गेहूँ की कालाबाजारी कर गबन करना पाया गया है।

जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा संयुक्त जांच दल गठित कर अप्रार्थी डीलर की दुकान की विस्तृत जांच करवाने पर जांच दल द्वारा दिनांक 21.05.2020 को रिकार्ड अनुसार जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुताबिक जांच रिपोर्ट थोक विक्रेताओं से डीलर को माह सितम्बर ,2016 से फरवरी,2020 तक आपूर्त किये गये खाद्य सुरक्षा योजना के गेहूँ की सूचना प्राप्त की गयी तथा पोस मशीन संख्या 11518 का माह सितम्बर,2016 से फरवरी,2020 की ऑनलाईन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट लेकर समीक्षाधीन अवधि में डीलर को कुल 2588.84.700 क्विंटल गेहूँ आपूर्ति किया व पोस मशीन से डीलर ने 2179.37 क्विंटल गेहूँ का वितरण किया गया। इस अवधि में डीलर द्वारा कुल 409. 477 क्विंटल गेहूँ का दुरूपयोग किया गया है।

अप्रार्थी डीलर को जिला रसद अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस क्रमांक अभियोग/2020/216 दिनांक 28.02.2020 व 487 दिनांक 21.05.2020 से नोटिस जारी करने के उपरान्त डीलर ने अपने जवाब दिनांक 28.02.2020 मे निरीक्षण के दौरान मेरे निजी रिश्तेदार की मृत्यु होने के कारण उसके दाह संस्कार मे शामिल होने के कारण उस समय दुकान बंद होना अंकित किया है,परन्तु अप्रार्थी डीलर ने दिनांक 06.01.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक निवाई को इस संबंध मे दूरभाष पर अवगत नही करवाया है। अप्रार्थी डीलर ने जवाब दिनांक 25.06.2020 मे अंकित किया है कि 2588.84.700 क्विंटल गेहूँ डीलर थोक विक्रेता द्वारा आपूर्ति नहीं हुई है और न ही पोश मशीन में फीड है,परन्तु संयुक्त जांच दल की जांच से यह सिद्व होता है कि डीलर द्वारा पोस मशीन से 2179.37 क्विटल गेहूँ का वितरण उपभोक्ताओं को किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर द्वारा 409.477 क्विटल गहूँ का दुरूपयोग किया जाना प्रमाणित होता है। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पीडीएस के तहत जरूरतमंद पात्र परिवारो के राशन हेतु आपूर्ति हेतु भेजे गये गेहूँ को वितरित नही किया जाकर गबन कर कालाबाजारी मे प्रयुक्त किये जाने पर जिला रसद अधिकार टोंक ने प्रर्वतन निरीक्षक [illegible] प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु निर्देशित करने पर प्रर्वतन निरीक्षक [illegible] पुलिस थाना निवाई मे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 153 दिनांक 22.05.2020 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:48:42 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से [illegible] को वितरण ना कर गम्भीर अनियमितता की है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना की है। चूकिं सार्वजनिक वितरण

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राज.)

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रणाली का कार्य आम गरीब जन से जुड़ा हुआ है। आम उपभोक्ता की सहज मे सूचनाये अंकित होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकार टोंक ने अपीलाण्ट द्वारा राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,,8,9,10,11 व 18 का उल्लघंन किये जाने के फलस्वरूप प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 09.09.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज 12.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:48:42 IST
Reason: SelfAttested